अनुस्मरण-पत्र

ई. 11016/1/2016-हिन्दी

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**(हिन्दी अनुभाग)**

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 07.10.2016

**विषय: मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कों/सैलों आदि में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की मासिक सूचना मांगने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय पर हिन्दी अनुभाग के दिनांक 01.09.2016 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रोफार्मा में माह सितम्बर, 2016 की मांगी सूचना हिन्दी अनुभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अत: अनुरोध है कि निर्धारित प्रोफार्मा में मांगी गई सूचना हिन्दी अनुभाग को अविलंब भिजवाने का कष्ट करें। सुगम संदर्भ के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन और प्रोफार्मा की प्रति पुन: संलग्न है।

(श्रद्धा माथुर)

**सहायक निदेशक (रा.भा.)**

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सैल
2. निदेशक, एनआईसी, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को पत्र मंत्रालय के इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।

का० वि० - 98 (हिन्दी)

ई. 11016/1/2016-हिन्दी

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 1-9-2016

कार्यालय ज्ञापन

**विषय: मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कों/सैलों आदि में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की मासिक सूचना मांगने के संबंध में।**

माननीया मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2016 को संपन्न हुई सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश किया था कि मंत्रालय में सरकारी काम काज मूल रूप में हिन्दी में किया जाए। इस संबंध में आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की ओर से दिनांक 04.08.2016 और 12.08.2016 को क्रमश: एक ओदश और सर्कुलर जारी किया जा चुका है।

अत: उपर्युक्त ओदश/सर्कुलर के आलोक में अनुरोध है कि कृपया मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सैल आदि में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सितम्बर, 2016 माह के किए गए कार्य का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा में 07 अक्टूबर, 2016 तक हिन्दी अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. साथ ही यह भी अनुरोध है कि सितम्बर, 2016 के बाद भी आगे प्रत्येक माह की सूचना इसी प्रोफार्मा में माह की समाप्ति के बाद सात दिनों के भीतर हिन्दी अनुभाग को **निरन्तर** भिजवाने का कष्ट करें।

1/9/2016

(वीना सत्यवादी)

**सहायक निदेशक (रा.भा.)**

सेवा में:-

1. मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सैल।
2. सचिव/विशेष सचिव (ओएएडी)/अपर सचिव/संयुक्त सविच (प्रशासन)/संयुक्त सचिव (पीपी) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव।
3. मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)/राज्य मंत्री (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) के निजी सचिव।
4. निदेशक, एनआईसी, (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) को कार्यालय ज्ञापन मंत्रालय के इन्ट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।

..................माह में ..................................................अनुभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य की सूचना

| क्र.सं. | कर्मचारी का नाम एवं पद नाम | नोटिंग की कुल संख्या | हिंदी में की गई नोटिंग की संख्या | टंकित शब्दों की कुल संख्या | हिन्दी में टंकित शब्दों की संख्या | कुल पत्राचार की संख्या | हिन्दी में किए गए पत्राचार की संख्या | हिन्दी में किए गए अन्य कार्य (ब्योरा दें) | हिन्दी में किए गए कुल कार्यों की संख्या | अंग्रेजी में किए गए कुल कार्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम